सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1740/MP/413/2024-RO-BH **दिनांक: 20.07.2026**

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-उज्जैन,
कलेक्टर कार्यालय,कोठी पैलेस रोड,
उज्जैन, मध्य प्रदेश -456010
ई-मेल: dmujjain@mp.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-उज्जैन,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, माधव नगर फ्रीगंज,
उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456001
ई-मेल: sp_ujjian@mppolice.gov.in

विषय: दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में दिनांक 21.06.2024 को प्रकाशित खबर "आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, दो आरोपित गिरफतार" के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोगराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - NCST/ATY-1740/MP/413/2024-RO-BH
दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में प्रकाशित आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना संबंधी समाचार के आधार पर संज्ञान लिए गए प्रकरण पर दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में दिनांक 21.06.2024 को प्रकाशित समाचार "आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, दो आरोपित गिरफ्तार" के अनुसार ताजपुर कस्बा, जिला उज्जैन में मजदूरी की तलाश में आए एक आदिवासी दंपति के साथ गंभीर आपराधिक घटना घटित हुई। समाचार के अनुसार आदिवासी महिला एवं उसके पति काम की तलाश में डिंडौरी से इंदौर पहुंचे थे, जहां उनका मोबाइल चोरी हो गया। इसके उपरांत वे उज्जैन पहुंचे और काम की तलाश में इंदिरा नगर चौराहे पर खड़े थे।
3. समाचार में उल्लेख किया गया कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा दंपति को चौकीदारी का कार्य दिलाने का आश्वासन देकर ताजपुर क्षेत्र में एक खेत पर ले जाया गया। आरोप है कि एक आरोपी महिला के पति को किराना सामग्री दिलाने के बहाने खेत से दूर ले गया तथा दूसरे आरोपी के साथ मिलकर महिला के साथ खेत पर बने कमरे में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के पश्चात पीड़िता किसी प्रकार वहां से निकलकर ग्रामीणों के पास पहुंची, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी।
4. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 06.07.2024 को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उज्जैन तथा पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को नोटिस जारी किया गया था।
5. नोटिस के प्रत्युत्तर में पुलिस अधीक्षक, उज्जैन द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि थाना पंवासा में अपराध क्रमांक 205/2024 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376-डी, 506, 120-बी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(व), 3(2)(व-ए) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
6. प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि दिनांक 19.06.2024 को ताजपुर क्षेत्र स्थित जंबूरा कांकड़ के खेत में बने कमरे में घटित घटना के संबंध में अनुसंधान पूर्ण कर आरोपियों की पहचान की गई तथा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भैरवगढ़, उज्जैन में निरुद्ध किया गया है।
7. प्रकरण की गंभीरता तथा पीड़िता के अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने के कारण आयोग द्वारा दिनांक 16.06.2026 को सिटिंग आयोजित कर प्रकरण की समीक्षा की गई।
8. सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध प्रतिवेदन एवं अभिलेखों तथा उपस्थित प्राधिकारी द्वारा तथ्यों को आयोग के सामने प्रस्तुत किया जिसका परीक्षण किया गया। आयोग ने पाया कि पुलिस द्वारा प्रकरण में तत्परता से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की सुसंगत धाराओं को भी प्रकरण में सम्मिलित किया गया है।
9. आयोग ने यह भी माना कि पीड़िता एक अनुसूचित जनजाति महिला है तथा उसके साथ घटित घटना अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील प्रकृति की है। अतः यह आवश्यक है कि प्रकरण का अभियोजन प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा पीड़िता को अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत देय सभी राहत एवं पुनर्वास लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएं।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

10. उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत माननीय आयोग ने पाया कि यद्यपि आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, तथापि अभियोजन की प्रगति, राहत राशि के भुगतान तथा पीड़िता के पुनर्वास संबंधी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत माननीय आयोग ने निम्न अनुशंसाएं कीं –

1. जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उज्जैन यह सुनिश्चित करें कि पीड़िता को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत देय राहत राशि, पुनर्वास सहायता तथा अन्य सुविधाएं नियमानुसार प्रदान की जाएं तथा इस संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराया जाए।
2. संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि पीड़िता एवं उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा एवं संरक्षण उपलब्ध कराया जाए तथा उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना अथवा दबाव का सामना न करना पड़े।
3. पुलिस अधीक्षक, उज्जैन एवं जिला कलेक्टर, उज्जैन संयुक्त रूप से 30 दिवस के भीतर अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएं।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. सं. NCST/ATY-1740/MP/413/2024-RO-BH

दिनांक: 16.06.2026

विषय: दैनिक समाचार पत्र नवदुनिया में दिनांक 21.06.2024 को प्रकाशित खबर "आदिवासी महिला से सामूहिक दुष्कर्म, दो आरोपित गिरफतार" के सम्बंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3	श्री [illegible] प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-उज्जैन,

कलेक्टर कार्यालय,कोठी पैलेस रोड,

उज्जैन, मध्य प्रदेश -456010

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				

पुलिस अधीक्षक, जिला-उज्जैन,

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, माधव नगर फ्रीगंज,

उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	अनिल बैरागी	उपनिरीक्षक	9347078252	[signature]
2				
3				
4				